भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **3138** जिसका उत्तर

गुरूवार, 12 **मार्च**, 2020/22 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया जाना है

पत्तन न्यास की भूमि

3138. प्रो. सौगत रायः

क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पत्तन न्यास की भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पत्तन न्यास की भूमि से अतिक्रमण हटाने और इसकी सुरक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

(क) और (ख) महापत्तनों में अतिक्रमण की गई पत्तन भूमि के सीमा-क्षेत्र का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	पत्तन न्यास का नाम	क्षेत्र (एकड़ में)
1.	कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी): हल्दिया डॉक काम्प्लेक्स (एचडीसी) कोलकाता डॉक सिस्टम (केडीएस)	 115.45 179.04
2.	पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी)	73.50
3.	विशाखापट्टणम पत्तन न्यास (वीपीटी)	शून्य
4.	चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी)	3.88
5.	कामराजार पोर्ट लिमिटेड (केपीएल)	शून्य
6.	व.उ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास (वीओसीपीटी)	14.99
7.	कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी)	0.15
8.	नव मंगलूर पत्तन न्यास (एनएमपीटी)	4.56
9.	मुरगांव पत्तन न्यास (एमपीटी)	2.69
10.	मुंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी)	53.17
11.	जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी)	19.75
12.	दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी)	389.78

(ग) पत्तन न्यासों की भूमि से अतिक्रमण हटाने और इसकी सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत बेदखली की प्रक्रिया।

(ii) राज्य सरकार के साथ परामर्श करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झुग्गीवासियों के लिए स्थायी मकानों के निर्माण हेतु भूमि का आवंटन।

(iii) पत्तन भूमि की सुरक्षा हेतु चार दीवारी का निर्माण।

(iv) पत्तन भूमि का नियमित रूप से निरीक्षण तथा सुरक्षा गार्ड की तैनाती।

(v) समय-समय पर अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाना।

*****